53

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 569-II-15

एस. के. श्रीवास्तव एड. प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

आज दि. 19-3-15 को

बलेक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामरतन पुत्र किशनलाल
2. बृजमोहन
3. अनिल कुमार
4. बच्चालाल पुत्रगण सामलिया
5. मावसिया पुत्र परमा
6. सुन्दरा पुत्र धनपाल
7. प्रभुदयाल पुत्र विशाल
8. केदार पुत्र विशाल
9. बद्रीप्रसाद पुत्र उदुआ
10. जालिम पुत्र मटरे
11. अर्जुन
12. रामचरन पुत्रगण ग्यासिया
13. शोभाराम पुत्र सामलिया सभी जाति कोरी, समस्त निवासीगण– ग्राम खेड़ाकला तहसील कैलारस, जिला मुरैना, म0प्र0

---- आवेदकगण

बनाम

बुन्दु खा पुत्र नामदार खा जाति मुसलमान निवासी– ग्राम खेड़ाकला तहसील कैलारस, जिला मुरैना, म0प्र0

---- अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 22/05/2014 पारित द्वारा न्यायालय श्री

<> XX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 569–दो/2015 निगरानी

जिला मुरेना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ता०
6-9-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 84/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–5–14 के खिलाफ म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सार अँश यह है कि अनावेदक बुन्दु खॉ पुत्र नामदार खॉ निवासी ग्राम खेड़ाकला ने तहसीलदार कैलारस को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन देकर बताया कि उसके नाम खेड़ाकला में भूमि सर्वे नंबर 1287/1 रकबा 0.05 आरे है जिसका अधीक्षक भू अभिलेख ने सीमांकन कर मुड्डयां कायम करवा दी थी व मौके पर कब्जा दे दिया था किन्तु आवेदकगण ने मुड्डियां उखाड़ कर फेंक दी हैं एंव सरसों की फसल पर कूड़ा डालकर खेती नहीं करने दे रहे हैं कार्यवाही की जाय। तहसीलदार ने प्रकरण नंबर 1/2009–10 अ 70 कायम किया तथा जॉच एंव सुनवाई करके आदेश दिनांक 15–2–11 पारित किया तथा अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का बेजा कब्जा पाने से राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 को आदेश दिये कि बह पुलिस बल की सहायता से अनावेदक को कब्जा दिलाये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के यहॉ अपील की, जो प्रकरण कमांक 32/10–11 अपील पर दायर होकर आदेश दिनांक 28–7–12 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 84/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–5–14 से अपील निरस्त कर दी। इसीके विरूद्व यह निगरानी है।	

प्रकरण कमांक 569-दो/2015 निगरानी

3/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव एंव अनावेदक के अभिभाषकों व्दारा दिये गये तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट हुआ कि दोनों पक्षों के बीच में पूर्व में इसी भूमि के बटवारे को लेकर मामला कमांक 16 अ-27/05-06 चला है जिसमें पारित आदेश दिनांक 8-3-07 से बटवारा हुआ है जिसमें अनावेदक के खातें में 0.05 आरे रकबा एंव आवेदकगण के खाते में 0.26 रकबा भूमि सर्वे नंबर 1287 कुल रकबा 0.31 है. विभाजित हुआ है और यह विभाजन अंतिम है। इसके वाद अनावेदक के रकबा 0.05 आरे का प्रकरण कमांक 4/07-08 अ 3 में पारित आदेश दिनांक 11-12-08 से बटांकन स्वीकृत हुआ है जो अपील के अभाव में अंतिम है। इसके वाद अधीक्षक भू अभिलेख की टीम ने अनावेदक के रकबा 0.05 आरे का मौके पर सीमांकन किया है तथा सीमा-चिन्ह सन्निर्मित कराये गये हैं इन्हीं सीमाचिन्हों के अनुरूप न रहकर आवेदकगण ने अनावेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है जिसके कारण तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 1/09-10 अ 70 में जॉच व सुनवाई में आवेदकगण को दोषी पाये जाने से आदेश दिनांक 15-2-11 पारित करके अनावेदक को कब्जा दिलाने के आदेश दिये है जिसमें किसी प्रकार की कमीवेशी नजर न आने से अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आवेदकगण की अपील कमांक 32/10-11 आदेश दिनांक 28-7-12 से निरस्त की है तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने प्रकरण कमांक 84/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-14 से भी आवेदकगण की द्वित्तीय अपील निरस्त की है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष एकसमान है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 84/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-14 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता हैं

सदस्य